	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	पौष 18, गुरूवार, *शाके* 1947- जनवरी 08, 2026 Pausa 18, Thursday, Saka 1947- January 08, 2026	

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डो, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि

नगरीय विकास विभाग

संशोधित अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 15, 2025

संख्या प. 11(30)नविवि/सलूम्बर/2022-13536 :-राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा इस विभाग की पूर्व में जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25.08.2022 के क्रम में सलूम्बर मास्टर प्लान–2043 के नगरीय क्षेत्र में निम्नलिखित राजस्व ग्राम जोड़े जाते हैः–

क्रम संख्या	राजस्व ग्राम का नाम	क्रम संख्या
18.	सेदड़ी	SEDRI
19.	ईसरवास डांगीयान	ISARWAS DANGIYAN
20.	ईसरवास रावन	ISARWAS RAWAN
21.	ईसरवास टापरान	ISARWAS TAPRAN
22.	प्रतापनगर	PRATAPNAGAR
23.	राजपुरा	RAJPURA
24.	नामचोत (आंशिक भाग खसरा संख्या, 3011, 3018 एवं 2513 में स्थित नहर के पूर्वी दिशा का भाग)	NAMCHOT (PART - Eastern part of Canal situated in Khasra No. 3011, 3018 and 2513)
25.	बनोड़ा (आंशिक भाग -खसरा संख्या 458, 462, 515, 573, 621, 824, 846, एवम् 1743 में स्थित नदी/नाला के दक्षिण दिशा का भाग)	BANORA (PART - Southern part of River/Nallah situated in Khasra No. 458, 462, 515, 573, 621, 824, 846 and 1743)

राज्यपाल की आज्ञा से,

रवि विजय,

शासन उप सचिव–प्रथम।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।